



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : AUGUST 19, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए "वन-शॉट थेरेपी" के भीतर.....	2
2. नए ट्रिब्यूनल विधेयक के पीछे केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच दशक भर से चला आ रहा टकराव	4
3. भारत के नए परमाणु नियम पुराने परमाणु ऊर्जा भागीदार रूस के पक्ष में कैसे हो सकते हैं.....	5
4. इंडिया रेटिंग्स ने FY27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया	7
5. युवाओं को सरकारी बैंक 'कूल' नहीं लगते, उनके जीवन का हिस्सा बनने: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से वित्त मंत्री	8
6. महाराष्ट्र का गन्ना दुविधा: मिलों द्वारा मशीनों का रुख करने से मजदूर बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं.....	10
7. पीएम केयर्स फंड (PM CARES Fund) के दान और खर्च में गिरावट देखी गई	11
8. महाराष्ट्र में नए नियम मुख्यमंत्री को किसी भी मंत्री पर वीटो पावर क्यों देते हैं	13
9. ब्रिक्स (BRICS) पर्यावरण मंत्रियों ने यूरोपीय संघ के 'कार्बन बॉर्डर टैक्स' का विरोध किया	14
10. निजी वित्त पोषण भारत के ओलंपिक सपनों को दे रहा है बढ़ावा.....	16
11. रोजगार गारंटी अधर में लटकी: VB-G RAM G संक्रमण.....	17
12. भारत में घटता कॉर्पोरेट निवेश: कारक और संरचनात्मक अड़चनें.....	19



1. खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए "वन-शॉट थेरेपी" के भीतर

प्रमुख विशेषताएं एवं सारांश

- **ब्रेकथ्रू (क्रांतिकारी खोज):** जीन थेरेपी: एक नवीन इन विवो (in vivo) जीन-एडिटिंग थेरेपी, VERVE-102 ने एकल अंतःशिरा जलसेक (सिंगल इंटरवेनस इन्फ्यूजन) के बाद कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन (LDL) या "खराब" कोलेस्ट्रॉल में 62% की कमी का प्रदर्शन किया।

- **PCSK9 जीन को लक्षित करना:** यह उपचार यकृत (लिवर) कोशिकाओं में PCSK9 जीन को स्थायी रूप से निष्क्रिय कर देता है, जो स्वाभाविक रूप से LDL रिसेप्टर्स को तोड़ता है, जिससे यकृत रक्तप्रवाह से काफी अधिक कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित करने में सक्षम होता है।
- **चरण 1 परीक्षण में निरंतर प्रभावकारिता:** परिणामों ने PCSK9 प्रोटीन के स्तर में 88% की कमी दिखाई, जबकि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले प्रभाव 18 महीने के अनुवर्ती अवलोकन तक स्थिर रहे।
- **अनुपालन समस्याओं पर विजय:** "एक बार और हमेशा के लिए" (वन-एंड-डन) स्थायी आनुवंशिक परिवर्तन प्रदान करके, यह दृष्टिकोण दैनिक स्टैटिन गोलियों या बार-बार एंटीबॉडी इंजेक्शन के आजीवन बोझ को समाप्त करता है।
- **उच्च जोखिम वाली आबादी को लक्षित करना:** यह थेरेपी मुख्य रूप से पारिवारिक हाइपरकोलेस्ट्रॉलेमिया (familial hypercholesterolemia) या समय से पहले हृदय रोग के उच्च आनुवंशिक जोखिम वाले व्यक्तियों पर केंद्रित है।
- **बहु-दशकीय परीक्षणों की आवश्यकता:** हालांकि अल्पकालिक सुरक्षा की पुष्टि हो गई है, स्थायी हृदय जोखिम में कमी को सत्यापित करने और विलंबित प्रतिकूल प्रभावों को खारिज करने के लिए बड़े पैमाने पर, दीर्घकालिक नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन (LDL):** इसे अक्सर "खराब कोलेस्ट्रॉल" कहा जाता है; इसका उच्च स्तर धमनी की दीवारों पर पट्टिका (प्लेक) के रूप में जमा हो जाता है, जिससे रक्त वाहिकाएं संकीर्ण हो जाती हैं और दिल का दौरा (हार्ट अटैक) या स्ट्रोक हो सकता है।
- **PCSK9 जीन:** एक जीन जो एक ऐसे प्रोटीन को एनकोड करता है जो यकृत LDL रिसेप्टर्स को नष्ट करता है; इसे अक्षम करने से परिसंचारी रक्त कोलेस्ट्रॉल को साफ करने के लिए रिसेप्टर की उपलब्धता बढ़ती है।
- **इन विवो जीन एडिटिंग (In Vivo Gene Editing):** एक ऐसी तकनीक जहां लक्षित सेलुलर डीएनए को स्थायी रूप से संशोधित करने के लिए आनुवंशिक सामग्री (जैसे लिपिड नैनोकणों के अंदर मैसेंजर आरएनए और गाइड आरएनए) को सीधे रोगी के शरीर में डाला जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय किफायती, उन्नत स्वास्थ्य सेवा और जीवन रक्षक चिकित्सा नवाचारों तक पहुंच को शामिल करने के रूप में व्याख्यायित करता है।
- **औषधि एवं नैदानिक परीक्षण नियम, 2019:** भारत में नवीन चिकित्सीय संस्थाओं के मानव नैदानिक परीक्षणों के संचालन के लिए नैतिक मानकों, अनुमोदन तंत्र और सुरक्षा प्रोटोकॉल को नियंत्रित करता है।
- **जीन थेरेपी उत्पाद विकास के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश (2019):** इन विवो जीन-एडिटिंग प्रौद्योगिकियों, जैव-सुरक्षा मापदंडों और नैतिक आनुवंशिक अनुसंधान को विनियमित करने के लिए ICMR और बायोटेक्नोलॉजी विभाग (DBT) द्वारा तैयार किया गया।

निष्कर्ष:

VERVE-102 हृदय रोग चिकित्सा में एक परिवर्तनकारी प्रतिमान बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो उपचार को आजीवन क्रोनिक प्रबंधन से स्थायी आनुवंशिक रोकथाम की ओर ले जाता है। समान पहुंच सुनिश्चित करना, उपचार लागत को कम करना और मजबूत नियामक निगरानी स्थापित करना विश्व स्तर पर इसके वास्तविक नैदानिक प्रभाव को निर्धारित करेगा।

UPSC प्रासंगिकता:

GS पेपर-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) के तहत जैव प्रौद्योगिकी, जीन एडिटिंग और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जागरूकता, तथा GS पेपर-II (शासन) के तहत स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

2. नए ट्रिब्यूनल विधेयक के पीछे केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच दशक भर से चला आ रहा टकराव

प्रमुख विशेषताएं एवं सारांश

- विधायी सुधार:** संसद ने न्यायाधिकरण प्रशासन में सुधार, चयन प्रक्रियाओं को संरचित करने और सर्वोच्च न्यायालय के दीर्घकालिक निर्देशों का समाधान करने के लिए 2021 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हुए ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2026 पारित किया।
- राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC) की स्थापना:** यह विधेयक मूल मंत्रालयों पर प्रशासनिक और वित्तीय निर्भरता को समाप्त करने, चयन आयोजित करने, पृष्ठताछ की निगरानी करने और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण डेटा ग्रिड को प्रबंधित करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का निर्माण करता है।
- मानकीकृत कार्यकाल मानदंड:** अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 5 साल का कार्यकाल तय करके, अध्यक्षों के लिए ऊपरी आयु सीमा 70 वर्ष और सदस्यों के लिए 67 वर्ष निर्धारित करके (पुनर्नियुक्ति की पात्रता के साथ), दशक भर से चले आ रहे मुकदमों का समाधान करता है।
- खोज-सह-चयन पैनल (Search-cum-Selection Panels):** आयोग का एक न्यायिक सदस्य सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सरकारी सचिव, तकनीकी सदस्य और विशेषज्ञों के साथ चयन समिति की अध्यक्षता करता है, जो प्रति रिक्ति एक उम्मीदवार और एक प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवार की सिफारिश करता है।
- अनिवार्य नियुक्ति समय-सीमा:** कार्यकारी देरी को कम करते हुए, संघ सरकार को चयन पैनल से सिफारिशें प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर नियुक्तियां करनी होंगी।
- कार्यपालिका का प्रतिधारण:** न्यायिक स्वतंत्रता को आगे बढ़ाते हुए, केंद्र CJI के परामर्श से आयोग के नेतृत्व की नियुक्ति करके, इसके सचिव की नियुक्ति करके और नियम बनाने की शक्तियों को नियंत्रित करके अपना प्रभाव बनाए रखता है।

The Indian EXPRESS

Behind the new Tribunals Bill, a decade-long tussle between government and Supreme Court



आवश्यक परिभाषाएं

- **न्यायाधिकरण (Tribunal):** विशेष विवादों का न्यायनिर्णयन करने, अदालत के बकाये को कम करने और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए कानून द्वारा स्थापित एक अर्ध-न्यायिक निकाय।
- **राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC):** देशभर के न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों, बुनियादी ढांचे, प्रशासन और अनुशासन की निगरानी का कार्य सौंपे जाने वाला एक स्वतंत्र वैधानिक छाता निकाय।
- **खोज-सह-चयन समिति:** न्यायिक और तकनीकी रिक्रिटियों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने और सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार न्यायिक और कार्यकारी सदस्यों को शामिल करने वाला एक समर्पित पैनल।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 323A और 323B:** 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से डाले गए, जो संसद और राज्य विधानसभाओं को प्रशासनिक और विषय-विशिष्ट न्यायाधिकरणों को स्थापित करने का अधिकार देते हैं।
- **शक्तियों का पृथक्करण (अनुच्छेद 50):** कार्यपालिका के नियंत्रण से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अनिवार्य बनाता है, जो न्यायाधिकरण सुधारों के लिए संवैधानिक आधारशिला के रूप में कार्य करता है।
- **एल. चंद्र कुमार मामला (1997):** माना गया कि न्यायाधिकरण के फैसले उच्च न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 226/227 के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेंगे और NTC जैसे एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी की अनिवार्यता स्थापित की।
- **मद्रास बार एसोसिएशन के निर्णय (2010-2021):** न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए 4 साल के छोटे कार्यकाल, 50 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा और कार्यपालिका-प्रधान चयन पैनलों को अमान्य घोषित किया।

निष्कर्ष:

ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2026, विधायी नीति और न्यायिक जनादेशों के बीच एक महत्वपूर्ण तालमेल का प्रतीक है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को संस्थागत बनाकर और कार्यकालों का मानकीकरण करके, यह ढांचा आवश्यक वैधानिक जांच बनाए रखते हुए कार्यात्मक स्वायत्तता को मजबूत करता है।

UPSC प्रासंगिकता:

GS पेपर-II (राज्यव्यवस्था एवं शासन) के तहत वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय, शक्तियों का पृथक्करण एवं न्यायिक स्वतंत्रता, और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

3. भारत के नए परमाणु नियम पुराने परमाणु ऊर्जा भागीदार रूस के पक्ष में कैसे हो सकते हैं

प्रमुख विशेषताएं एवं सारांश

- **मसौदा नियम पूर्व संचालन को अनिवार्य बनाते हैं:** 'भारत के परिवर्तन के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और संवर्धन' (SHANTI) अधिनियम के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग के मसौदा नियमों के अनुसार विदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी को अपने मूल देश या किसी अन्य विदेशी राष्ट्र में डिज़ाइन-प्रमाणित और संचालित होना आवश्यक है।
- **रूस के लिए प्रतिस्पर्धी बढ़त:** जबकि होलटेक, रोल्स-रॉयस और जीई-हिटाची जैसे पश्चिमी प्रतिस्पर्धी डिज़ाइन-प्रमाणन चरणों में बने हुए हैं, रूस का रोसाटॉम अकादमिक लोमोनोसोव फ्लोटिंग प्लांट जैसे कार्यात्मक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) का संचालन करता है, जिससे उसे रणनीतिक बढ़त मिलती है।
- **स्थानीयकृत ऊर्जा आवश्यकताओं को लक्षित करना:** भारत कैप्टिव औद्योगिक उद्यमों, कमजोर ग्रिड पहुंच वाले दूरस्थ स्थानों और विश्वसनीय बेसलोड बिजली की आवश्यकता वाले ऊर्जा-गहन डेटा केंद्रों के लिए SMR तैनाती चाहता है।
- **कुडनकुलम से परे विस्तार:** कुडनकुलम में अपने प्रमुख VVER-1000 रिएक्टरों के अलावा, रूस भारत को अगली पीढ़ी के VVER-1200 उच्च क्षमता वाले रिएक्टरों और भूमि/फ्लोटिंग SMR मॉडल की पेशकश कर रहा है।
- **लागत प्रतिस्पर्धात्मकता:** रूसी हल्के-पानी के रिएक्टर फ्रांसीसी या अमेरिकी विकल्पों की तुलना में कम पूंजीगत व्यय प्रस्तुत करते हैं, जो लगभग ₹34 करोड़ प्रति मेगावाट-इलेक्ट्रिक पर भारत के स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वॉटर रिएक्टर्स (PHWRs) के काफी करीब हैं।
- **वित्तपोषण और पैमाने की गतिशीलता:** SMRs और बड़े रिएक्टरों का क्रमिक निर्माण स्वच्छ बिजली उत्पादन में उच्च अग्रिम पूंजी निवेश और लंबी गर्भाधान अवधि को कम करने का एक व्यावहारिक तरीका प्रदान करता है।



Russia's SMR edge: Why India's new nuclear rules could favour Moscow



आवश्यक परिभाषाएं

- **स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR):** प्रति इकाई 300 MW(e) तक की बिजली क्षमता वाले उन्नत परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, जो कारखानों में बनाए जाते हैं और लचीले, स्केलेबल, कम-कार्बन बिजली उत्पादन की पेशकश करने के लिए साइटों पर ले जाए जाते हैं।
- **VVER-1200:** उच्च क्षमता वाले आउटपुट, उन्नत सुरक्षा सुविधाओं और क्रमिक निर्माण उपयुक्तता के साथ रूसी-डिज़ाइन किया गया जेनरेशन III+ प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर।
- **बेसलोड क्षमता (Baseload Capacity):** 24 घंटे की अवधि में विद्युत ग्रिड को लगातार आपूर्ति की जाने वाली विद्युत शक्ति की न्यूनतम मात्रा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962:** भारत में परमाणु ऊर्जा विकास, बिजली उत्पादन, रेडियोधर्मी कचरा निपटान और परमाणु सामग्री पर राज्य के नियंत्रण को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानूनी ढांचा।
- **परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (CLNDA), 2010:** परमाणु दुर्घटनाओं के लिए कड़े दायित्व प्रोटोकॉल और मुआवजा तंत्र की रूपरेखा तैयार करता है, जो विदेशी उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक रूप से एक विवादित क्षेत्र रहा है।

- **SHANTI अधिनियम के मानदंड:** विदेशी रिएक्टर तैनातियों के लिए प्रौद्योगिकी आयात, नियामक अनुपालन और सुरक्षा प्रमाणन को सुव्यवस्थित करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) द्वारा पेश किया गया।

निष्कर्ष:

SHANTI अधिनियम के तहत भारत के परिचालन योग्यता मानदंड रूस जैसे सिद्ध परमाणु विक्रेताओं का पक्ष लेते हैं, जिससे पूंजीगत लागत का प्रबंधन करते हुए बढ़ती औद्योगिक और स्वच्छ ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए तीव्र SMR तैनाती में आसानी होती है। प्रौद्योगिकी विविधता के साथ नियामक अनुपालन को संतुलित करना भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा।

UPSC प्रासंगिकता:

GS पेपर-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी / ऊर्जा) के तहत प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, परमाणु प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, और GS पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के तहत प्रमुख शक्तियों के साथ द्विपक्षीय संबंध (भारत-रूस ऊर्जा भागीदारी) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

4. इंडिया रेटिंग्स ने FY27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया

प्रमुख विशेषताएं एवं सारांश

- **वृद्धि का संशोधित अनुमान (ऊपर की ओर):** इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) ने FY27 के अपने जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान को 6.7% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के 6.7% के अद्यतन वृद्धि अनुमान के काफी करीब है।
- **उच्च आधार से संयम:** यद्यपि यह पिछले अनुमानों से अधिक है, अनुमानित 6.8% की वृद्धि आधार प्रभावों के कारण FY26 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के 7.6% के अनंतिम वृद्धि अनुमान से गिरावट (धीमेपन) को दर्शाती है।
- **भू-राजनीतिक और शुल्क जोखिम:** नकारात्मक जोखिमों में चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष, मुद्रा का अवमूल्यन, कमजोर वैश्विक व्यापार और रूसी कच्चे तेल की खरीद से जुड़े अमेरिकी शुल्कों से संभावित आर्थिक दबाव शामिल हैं।
- **कृषि और मुद्रास्फीति का दबाव:** अनुमानित अल नीनो मौसम पैटर्न कृषि उत्पादन के लिए जोखिम पैदा करता है, जिससे ईंधन और खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ सकती है जो सकारात्मक आर्थिक गति को बेअसर कर सकती है।
- **तेल की कीमतों के प्रति संवेदनशीलता:** 6.8% का अनुमान भारतीय कच्चे तेल की टोकरी (बास्केट) की कीमतें \$85/बैरल के आसपास रहने पर आधारित है; कच्चे तेल की कम कीमतें चालू खाता घाटे (CAD) को कम करती हैं लेकिन मुद्रास्फीति के जोखिम बने रहते हैं।

- **सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (Capex) चुनौतियां:**
राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा उम्मीद से कमजोर पूंजीगत व्यय, व्यापक आर्थिक विस्तार के लिए एक प्रमुख बाधा प्रस्तुत करता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **सकल घरेलू उत्पाद (GDP):** एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य।
- **चालू खाता घाटा (CAD):** किसी देश के व्यापार का एक माप जहां आयातित वस्तुओं, सेवाओं और हस्तांतरण का कुल मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो जाता है।
- **बेस इफेक्ट (Base Effect):** किसी संबंधित पिछली अवधि के असाधारण रूप से उच्च या निम्न आंकड़ों से वर्तमान आंकड़ों की तुलना करने के कारण आर्थिक प्रतिशत की गणना में उत्पन्न होने वाली विकृति।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003:** सरकारी राजकोषीय घाटे में कमी के लिए वैधानिक लक्ष्य निर्धारित करता है, जो सीधे सार्वजनिक पूंजीगत व्यय आवंटन को प्रभावित करता है।
- **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा):** RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) को विकास को बनाए रखते हुए 4% के आसपास ($\pm 2\%$ के बैंड के साथ) मूल्य स्थिरता बनाए रखने का अधिकार देता है।
- **सांख्यिकी एकत्रीकरण अधिनियम, 2008:** सटीक जीडीपी अनुमान और समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकॉनॉमिक) पूर्वानुमान के लिए NSO के तहत आधिकारिक आर्थिक डेटा संग्रह की सुविधा प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

FY27 के लिए भारत का 6.8% का संशोधित जीडीपी वृद्धि अनुमान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तनाव और भू-राजनीतिक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लचीली व्यापक आर्थिक बुनियादी बातों को दर्शाता है। इस प्रक्षेपवक्र (trajectory) को बनाए रखने के लिए संभावित कृषि और बाहरी व्यापार के झटकों को बेअसर करने हेतु विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन, प्रभावी मुद्रास्फीति नियंत्रण और लक्षित निजी निवेश की आवश्यकता है।

UPSC प्रासंगिकता:

GS पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों लामबंदी, वृद्धि, विकास और रोजगार, मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति, तथा बाह्य क्षेत्र और भुगतान संतुलन से संबंधित मुद्दों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

5. युवाओं को सरकारी बैंक 'कूल' नहीं लगते, उनके जीवन का हिस्सा बनें: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से वित्त मंत्री

मुख्य बिंदु और सारांश

- **युवा जुड़ाव अभियान:** केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) से एक महीने का "युवाओं के लिए बैंकिंग" अभियान शुरू करके तकनीक-प्रेमी युवाओं के बीच अपनी अपील बढ़ाने का आग्रह किया।
- **बैंकिंग अनुभव का आधुनिकीकरण:** स्मार्टफोन के आदी युवा उपभोक्ताओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सरल, सहज, व्यक्तिगत और 24/7 डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की सलाह दी गई।
- **समर्पित बुनियादी ढांचा:** युवा ग्राहकों को उनकी वित्तीय यात्रा में मदद करने के लिए शाखा कार्यालयों में समर्पित "युवा कियोस्क" स्थापित करने या "युवा बैंकिंग मित्र" कर्मचारियों को तैनात करने की सिफारिशें शामिल हैं।
- **वित्तीय साक्षरता पर ध्यान:** इस पहल का उद्देश्य 16 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं को औपचारिक क्रेडिट पारिस्थितिकी तंत्र, क्रेडिट स्कोर, सरकारी योजनाओं और समझदारी से ऋण लेने की प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना है।
- **नवाचार और दूरदर्शिता का संतुलन:** वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ग्राहक अपील के आधुनिकीकरण से मूल बैंकिंग अनुशासन या वित्तीय दूरदर्शिता से समझौता नहीं होना चाहिए।
- **FCNR(B) स्वैप सुविधा की चरणबद्ध समाप्ति:** इसके साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने लक्ष्यों से अधिक मजबूत डॉलर प्रवाह के बाद अपनी रियायती विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा स्वैप विंडो को समय से पहले समाप्त करने का निर्णय लिया।

आवश्यक परिभाषाएं

- **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs):** वे बैंक जिनमें बहुलांश हिस्सेदारी (50% से अधिक) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के पास होती है, जो वित्तीय समावेशन के लिए प्रमुख चैनल के रूप में कार्य करते हैं।
- **वित्तीय समावेशन:** सस्ती लागत पर वंचित या कम सेवा वाले समूहों के लिए उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक समय पर और पर्याप्त पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया।
- **FCNR(B) जमा योजना:** विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा योजना अनिवासी भारतीयों (NRIs) को विनिमय दर के जोखिमों से मुक्त रखकर विदेशी मुद्राओं में खाते बनाए रखने की अनुमति देती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949:** भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के संचालन, पर्यवेक्षण और शासन के लिए नियामक ढांचा प्रदान करता है।
- **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934:** केंद्रीय बैंक को मुद्रा प्रबंधन करने, विदेशी मुद्रा सुविधाओं को विनियमित करने और बैंकिंग क्षेत्र में क्रेडिट परिचालन की देखरेख करने का अधिकार देता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 39(b) और (c):** राज्य की नीति को आम भलाई के लिए भौतिक संसाधनों के वितरण और धन के संकेंद्रण को रोकने की दिशा में निर्देशित करता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग की नींव बनाता है।

निष्कर्ष निजी प्रतिस्पर्धियों और फिनटेक प्लेटफॉर्मों के समक्ष प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने डिजिटल ढांचे और युवा जुड़ाव रणनीतियों का आधुनिकीकरण करना होगा। शुरुआती वित्तीय साक्षरता और निर्बाध डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देने से यह सुनिश्चित होगा कि उचित वित्तीय सिद्धांतों को बनाए रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारत की बढ़ती औपचारिक अर्थव्यवस्था के केंद्र में बने रहें।

UPSC प्रासंगिकता यह सामान्य अध्ययन पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय समावेशन, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, तथा संसाधनों के जुटान के लिए प्रासंगिक है।

6. महाराष्ट्र का गन्ना सुविधा: मिलों द्वारा मशीनों का रख करने से मजदूर बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं

मुख्य बिंदु और सारांश

- बड़ा प्रवासी कार्यबल:** लगभग 10 लाख प्रवासी गन्ना काटने वाले मजदूर—जिनमें से आधी महिलाएं हैं—हर साल बीड़ जैसे सूखाग्रस्त जिलों से पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में प्रवास करते हैं।
- शोषणकारी अनुबंध और ऋण बंधुआ मजदूरी:** मजदूर ठेकेदारों (मुकादमों) के माध्यम से कड़े समझौतों से बंधे होते हैं, जहां उन्हें 16 घंटे काम करना पड़ता है, बीमारी के कारण काम न कर पाने पर मजदूरी में कटौती होती है और खेत में बुनियादी सुविधाओं का पूर्ण अभाव रहता है।
- लैंगिक असमानता और उत्पीड़न:** जोड़ों को एकल इकाइयों के रूप में काम पर रखा जाता है और भुगतान विशेष रूप से पुरुष प्रमुखों के माध्यम से किया जाता है। महिला मजदूर गंभीर वित्तीय, स्वास्थ्य और सामाजिक कमजोरियों के साथ-साथ मातृत्व सुरक्षा के अभाव का सामना करती हैं।
- मशीनीकरण की ओर बदलाव:** श्रम की भारी कमी, श्रमिकों के अधिकारों की बढ़ती मांगों और न्यायिक हस्तक्षेपों का सामना करते हुए, चीनी मिलें तेजी से यांत्रिक हार्वेस्टर तैनात कर रही हैं। भारत में कुल 3,218 हार्वेस्टर में से महाराष्ट्र 68% (2,200 से अधिक इकाइयाँ) संचालित करता है।
- आसन्न विस्थापन:** मशीनीकरण से तीन वर्षों के भीतर बड़े खेतों का काम पूरी तरह से मशीनों द्वारा किए जाने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक रोजगार की कमी वाले पारंपरिक प्रवासी मजदूर परिवारों के लिए गंभीर आर्थिक आजीविका संबंधी चिंताएं पैदा हो रही हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- मुकादम प्रणाली:** एक अनौपचारिक श्रम अनुबंध नेटवर्क जहां बिचौलिए श्रमिकों को अग्रिम धन देते हैं, जिससे वे शोषणकारी शर्तों के तहत मौसमी, कम मजदूरी वाले कृषि श्रम से बंध जाते हैं।
- मौसमी प्रवास:** स्थानीय संकट या सूखे के कारण गैर-कृषि मौसम के दौरान रोजगार के लिए ग्रामीण परिवारों का कृषि या औद्योगिक क्षेत्रों में अस्थायी स्थानांतरण।

- **कृषि मशीनीकरण:** कृषि प्रक्रियाओं—जैसे कि कटाई और परिवहन—में मैनुअल मानव श्रम को स्वचालित भारी मशीनरी से बदलना।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 23:** गरिमा के साथ जीने का अधिकार और जबरन श्रम (बेगार) तथा मानव तस्करी के खिलाफ मौलिक संवैधानिक निषेध।
- **अनुच्छेद 39(e) और अनुच्छेद 42:** राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को अनिवार्य बनाते हैं और राज्य को न्यायसंगत, मानवीय कार्य स्थितियों और मातृत्व राहत सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008:** मौसमी असंगठित श्रमिकों तक स्वास्थ्य सेवा, विकलांगता लाभ और सामाजिक कल्याण योजनाओं का विस्तार करने के लिए तैयार किए गए वैधानिक ढांचे।
- **अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979:** राज्य की सीमाओं के पार या ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत प्रवासी मजदूरों की सेवा की शर्तों और सुरक्षा को विनियमित करता है।



निष्कर्ष यद्यपि मशीनीकरण के माध्यम से तकनीकी बदलाव भारत के चीनी उद्योग के लिए दक्षता लाभ प्रदान करता है, लेकिन इससे संवेदनशील मौसमी श्रमिकों के लिए सामाजिक-आर्थिक संकट बढ़ने का जोखिम है। बड़े पैमाने पर विस्थापन को रोकने और कृषि आजीविका की रक्षा के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज, वैकल्पिक ग्रामीण रोजगार सृजन और लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम सुनिश्चित करना आवश्यक है।

UPSC प्रासंगिकता यह सामान्य अध्ययन पत्र-II (शासन और सामाजिक न्याय) के अंतर्गत जनसंख्या के संवेदनशील वर्ग, गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे, तथा सामान्य अध्ययन पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) के अंतर्गत कृषि विपणन और प्रौद्योगिकी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी से संबंधित मुद्दे, एवं रोजगार और मौसमी प्रवास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Dream | Dare | Deliver

7. पीएम केयर्स फंड (PM CARES Fund) के दान और खर्च में गिरावट देखी गई

मुख्य बिंदु और सारांश

- **आवक में तेज गिरावट:** वित्त वर्ष 2024-25 में पीएम केयर्स फंड में कुल योगदान घटकर ₹479.96 करोड़ रह गया, जिसमें ₹479.04 करोड़ घरेलू दान और ₹92 लाख विदेशी योगदान शामिल हैं।
- **अब तक का सबसे अधिक कॉर्पस बैलेंस:** कम वार्षिक प्राप्तियों के बावजूद, वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में अंतिम शेष राशि ₹8,452.06 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो वित्त वर्ष 2023-24 के ₹7,173.03 करोड़ से 17.83% की वृद्धि दर्शाती है।

- **रिकॉर्ड निचला वार्षिक व्यय:** वित्त वर्ष 2024-25 में फंड का खर्च घटकर पांच साल के निचले स्तर ₹87.85 लाख पर आ गया, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह ₹15.59 करोड़ और महामारी के वर्ष 2020-21 के दौरान यह ₹3,976.17 करोड़ के शीर्ष खर्च पर था।
- **महत्वपूर्ण ब्याज आय:** फंड ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विशुद्ध रूप से ब्याज आय के रूप में ₹475.14 करोड़ अर्जित किए (जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट से ₹469.37 करोड़ और नियमित बैंक खातों से ₹5.76 करोड़ शामिल हैं)।
- **ऐतिहासिक उच्चतम संग्रह:** दूसरी कोविड लहर के बीच वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान योगदान चरम पर था, जब ₹7,183.77 करोड़ घरेलू दान और ₹494.93 करोड़ विदेशी दान में एकत्र किए गए थे।
- **शासी बोर्ड की संरचना:** 27 मार्च, 2020 को एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में स्थापित, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, उनके साथ रक्षा, गृह और वित्त केंद्रीय मंत्री पदेन ट्रस्टी के रूप में शामिल हैं।

• **Contributions received in the PM CARES Fund and closing balance** (amount in Rs Crore)

	Receipts		Opening Balance	Total Receipts	Total Payments	Closing Balance
	Domestic	Foreign				
2019-20	3076.85	0.39	0	3076.62	0.0002	3076.62
2020-21	7183.77	494.93	3076.62	10990	3976.17	7013.99
2021-22	1896.76	40.12	7013.99	9131.94	3716.29	5415.65
2022-23	909.64	2.57	5415.65	6721	437.87	6283.68
2023-24	681.81	1.13	6283.68	7188.63	15.59	7173.03
2024-25	479.04	0.92	7173.03	8452.94	0.87	8452.06

आवश्यक परिभाषाएं

- **पीएम केयर्स फंड:** प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड (प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष); सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति या अन्य संकट की स्थितियों से निपटने के लिए स्थापित एक समर्पित सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट।
- **सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट:** आम जनता या समाज के विशिष्ट वर्गों के लाभ के लिए ट्रस्ट कानून के तहत निर्मित एक गैर-सरकारी कानूनी ढांचा, जो सरकारी बजटीय ढांचे से बाहर संचालित होता है।
- **ब्याज आय और TDS रिफंड:** बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे वित्तीय साधनों में रखी गई मूल राशि से अर्जित राजस्व, साथ ही ऐसी आय पर स्रोत पर काटे गए कर (TDS) का रिफंड।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **पंजीकरण अधिनियम, 1908:** वह कानूनी अधिनियम जिसके तहत 27 मार्च, 2020 को नई दिल्ली में पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट डीड को आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया गया था।
- **आयकर अधिनियम, 1961 (धारा 80G):** अधिसूचित धर्मार्थ ट्रस्टों को दिए गए स्वैच्छिक योगदान के लिए 100% कर छूट प्रदान करता है।
- **कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 135):** पीएम केयर्स फंड में दिए गए योगदान को पात्र कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय के रूप में मान्यता देता है।
- **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010:** मानक पंजीकरण बाधाओं के बिना विदेशी दान प्राप्त करने के लिए पीएम केयर्स फंड को विशेष छूट प्रदान करता है।
- **CAG और RTI जांच से छूट:** चूंकि फंड भारत की समेकित निधि के माध्यम से वित्तपोषित नहीं है, केंद्र सरकार का तर्क है कि यह RTI अधिनियम, 2005 की धारा 2(h) के तहत "लोक प्राधिकरण" (public authority) नहीं है, जिससे यह अनिवार्य CAG ऑडिट और संसदीय समीक्षा से बाहर रहता है।

निष्कर्ष यद्यपि पीएम केयर्स फंड सर्वकालिक उच्च शेष राशि के साथ पर्याप्त तरलता बनाए रखता है, लेकिन घटता वार्षिक दान और हालिया न्यूनतम व्यय महामारी के बाद कॉर्पस संचय (निधि संचयन) की ओर बदलाव को उजागर करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में सक्रिय तैनाती के साथ संचय को संतुलित करना इसके मूल मानवीय उद्देश्यों को पूरा करने की कुंजी बनी हुई है।

UPSC प्रासंगिकता यह **सामान्य अध्ययन पत्र-II (राजव्यवस्था और शासन)** के अंतर्गत सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाम संसदीय नियंत्रण, पारदर्शिता और जवाबदेही (RTI अधिनियम, CAG ऑडिट), तथा **सामान्य अध्ययन पत्र-III (अर्थव्यवस्था)** के अंतर्गत आपदा प्रबंधन वित्तपोषण और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

8. महाराष्ट्र में नए नियम मुख्यमंत्री को किसी भी मंत्री पर वीटो पावर क्यों देते हैं

मुख्य बिंदु और सारांश

- मुख्यमंत्री को अतिरहने (ओवरराइडिंग) का अधिकार:** महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार कार्य नियमावली, 2026 (Rules of Business) को अधिसूचित किया, जिसने 1975 के नियमों का स्थान लिया। यह स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री को जनहित में किसी भी मंत्री के फैसले को ओवरराइड (रद्द) या समीक्षा करने का अधिकार देता है।
- न्यायिक मिसाल के साथ तालमेल:** यह नियम संशोधन मार्च 2023 के बॉम्बे हाई कोर्ट (नागपुर पीठ) के उस फैसले के बाद हुआ है जिसमें माना गया था कि पुराने 1975 के नियमों के तहत, मुख्यमंत्री के पास किसी विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों को बदलने या रोकने का कोई वैधानिक पर्यवेक्षी अधिकार नहीं था।
- नियम 13(5) का समावेशन और अपवाद:** नया शामिल किया गया नियम 13(5) मुख्यमंत्री को विभागीय निर्णयों को ओवरराइड करने की अनुमति देता है, बशर्ते कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाए और कार्रवाई जनहित में हो, हालांकि यह शक्ति अर्ध-न्यायिक मामलों को बाहर रखती है।
- मुख्य सचिव की बढ़ी हुई भूमिका:** प्रशासनिक कार्यप्रणाली के तहत कैबिनेट से जुड़े प्रस्तावों और अंतर-विभागीय मामलों को मुख्य सचिव के माध्यम से भेजना आवश्यक है, जिससे आदेश जारी करने से पहले अंतर-मंत्रालयी मंजूरी को मानकीकृत किया जा सके।
- राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य:** नियमों में प्रशासनिक मामलों की 22 अलग-अलग श्रेणियों को निर्दिष्ट किया गया है—जिसमें कानून और व्यवस्था, केंद्र-राज्य संबंध, अध्यादेश और SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों का कल्याण शामिल हैं—जिन्हें अंतिम आदेश जारी करने से पहले राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- गठबंधन की गतिशीलता पर प्रभाव:** मुख्यमंत्री के कार्यकारी वीटो को औपचारिक रूप देकर, यह ढांचा कैबिनेट मंत्रियों की एकतरफा स्वायत्तता को सीमित करता है, गठबंधन सरकारों के भीतर राजनीतिक शक्ति संतुलन को बदलते हुए शासन को सुव्यवस्थित करता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **कार्य नियमावली (Rules of Business):** प्रशासनिक विभागों का आवंटन करने और कार्यकारी निकायों के बीच निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को परिभाषित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए वैधानिक प्रक्रियात्मक नियम।
- **समकक्षों में प्रथम (Primus Inter Pares) के रूप में मुख्यमंत्री:** मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री को "समकक्षों में प्रथम" के रूप में स्थापित करने वाला संवैधानिक सिद्धांत, जो सामूहिक जिम्मेदारी और प्रशासनिक तालमेल को संचालित करता है।
- **अर्ध-न्यायिक आदेश (Quasi-Judicial Orders):** कार्यकारी अधिकारियों द्वारा अधिकारों के निर्धारण से जुड़े प्रशासनिक निर्णय, जो राजनीतिक या पर्यवेक्षी ओवरराइड से सुरक्षित होते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 166(2) और 166(3):** राज्यपाल को सरकारी कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन और मंत्रियों के बीच काम के आवंटन के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है।
- **अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164:** विधानसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी बनाए रखते हुए, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है।
- **न्यायिक समीक्षा:** उच्च न्यायालयों के पास अनुच्छेद 226 के तहत यह जांच करने का अधिकार बना रहता है कि क्या कार्यकारी कार्रवाई वैधानिक कार्य नियमावली और संवैधानिक जनादेशों का अनुपालन करती है या नहीं।

निष्कर्ष महाराष्ट्र सरकार कार्य नियमावली, 2026 की रूपरेखा न्यायिक निर्णयों द्वारा उजागर की गई एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कमी को पूरा करती है। अर्ध-न्यायिक निर्णयों को सुरक्षित रखते हुए मुख्यमंत्री के पर्यवेक्षी ओवरराइड को संहिताबद्ध करके, यह ढांचा राज्य प्रशासन में कैबिनेट एकजुटता, कार्यकारी जवाबदेही और कानूनी पारदर्शिता को संतुलित करता है।

UPSC प्रासंगिकता यह सामान्य अध्ययन पत्र-II (राजव्यवस्था और शासन) के अंतर्गत कार्यपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली, कार्यपालक कार्य नियमावली (अनुच्छेद 166), सामूहिक जिम्मेदारी बनाम व्यक्तिगत मंत्री का विवेक, तथा मुख्यमंत्री और राज्यपाल की भूमिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

9. ब्रिक्स (BRICS) पर्यावरण मंत्रियों ने यूरोपीय संघ के 'कार्बन बॉर्डर टैक्स' का विरोध किया

मुख्य बिंदु और सारांश

- **CBAM का संयुक्त विरोध:** 9-सदस्यीय ब्रिक्स समूह के पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों ने यूरोपीय संघ के 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकैनिज्म' (CBAM) का सामूहिक रूप से विरोध किया और इसे एकतरफा, दंडात्मक और भेदभावपूर्ण व्यापार बाधा बताया जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती है।
- **2026 में CBAM का पूर्ण प्रवर्तन:** 1 अक्टूबर 2023 को शुरू किए गए केवल-रिपोर्टिंग वाले प्रारंभिक चरण के बाद, CBAM 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से लागू हो गया है, जिसके तहत यूरोपीय संघ के आयातकों को

स्टील, लोहा, सीमेंट, उर्वरक और एल्युमीनियम जैसी आयातित वस्तुओं में शामिल कार्बन उत्सर्जन के अनुरूप प्रमाण पत्र खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है।

- **जलवायु वित्त जुटाने का आह्वान:** सदस्य देशों ने विकसित देशों से जलवायु अनुकूलन के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने और ब्राजील के बेलेम में COP30 में स्थापित 'न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल' (NCQG) के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया, जिसका लक्ष्य 2035 तक विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्त को तीन गुना करना है।
- **CBDR-RC सिद्धांत की पुष्टि:** संयुक्त घोषणा ने "सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं" (CBDR-RC) के मूलभूत संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत को दोहराया, और इस बात पर बल दिया कि वैश्विक जलवायु कार्रवाई स्वैच्छिक और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए।
- **विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव:** ब्रिक्स देशों ने गहरी चिंता व्यक्त की कि CBAM जैसे एकतरफा व्यापार शुल्क जलवायु लचीलापन बनाने की विकासशील देशों की घरेलू क्षमता को कमजोर करते हैं, संसाधनों को जलवायु अनुकूलन से दूर करते हैं, और बहुपक्षीय व्यापार तंत्र को विकृत करते हैं।
- **नेतृत्व का हस्तांतरण:** नई दिल्ली में आयोजित 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में तकनीकी विचार-विमर्श के एक वर्ष के समापन के साथ संपन्न हुई, जिसमें 2027 के लिए 13वें संस्करण की मेजबानी का दायित्व आधिकारिक तौर पर चीन को सौंप दिया गया।



आवश्यक परिभाषाएं

- **कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकैनिज्म (CBAM):** यूरोपीय संघ में आयातित कार्बन-गहन वस्तुओं पर यूरोपीय संघ द्वारा लगाया जाने वाला एक कार्बन टैरिफ, जिसे "कार्बन लीकेज" को रोकने के लिए घरेलू उत्पादन और आयात के बीच कार्बन की कीमत को समान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR-RC):** UNFCCC के भीतर एक मार्गदर्शक सिद्धांत जो यह स्वीकार करता है कि यद्यपि सभी देश जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी साझा करते हैं, लेकिन विकसित देश उच्च ऐतिहासिक जिम्मेदारी और कार्य करने की अधिक क्षमता रखते हैं।
- **न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (NCQG):** पेरिस समझौते के ढांचे के तहत एक वित्तीय लक्ष्य जो 2025 के बाद विकसित देशों से विकासशील देशों को स्केलेबल जलवायु वित्त आवंटन स्थापित करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC):** अनुच्छेद 3.5 स्पष्ट रूप से बताता है कि जलवायु उपाय मनमाना या अनुचित भेदभाव का साधन या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक गुप्त प्रतिबंध नहीं बनने चाहिए।
- **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सिद्धांत:** CBAM को GATT 1994 के तहत सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र (MFN) उपचार (अनुच्छेद I) और राष्ट्रीय उपचार (अनुच्छेद III) के तहत जांच का सामना करना पड़ रहा है, जो समान उत्पादों पर भेदभावपूर्ण टैरिफ को प्रतिबंधित करते हैं।

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(c):** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति आदर बढ़ाने का निर्देश देता है, जो भारत की बहुपक्षीय जलवायु वार्ताओं के लिए एक संवैधानिक आधार प्रदान करता है।

निष्कर्ष ब्रिक्स समूह का सामूहिक रुख यूरोपीय संघ के CBAM जैसे एकतरफा जलवायु-व्यापार नीतियों के खिलाफ वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) के बढ़ते प्रतिरोध को उजागर करता है। सार्थक वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन प्राप्त करने के लिए दंडात्मक व्यापार शुल्कों के बजाय सहकारी जलवायु वित्त ढांचे और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता है जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को दंडित न करे।

UPSC प्रासंगिकता यह **सामान्य अध्ययन पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)** के अंतर्गत भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह (BRICS), भारत के हितों पर विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव, तथा **सामान्य अध्ययन पत्र-III (पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था)** के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, जलवायु परिवर्तन वार्ता (COP30/UNFCCC), एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शुल्क (WTO) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

10. निजी वित्त पोषण भारत के ओलंपिक सपनों को दे रहा है बढ़ावा

मुख्य बिंदु और सारांश

- **राष्ट्रीय महासंघों में धन की कमी:** क्रिकेट को छोड़कर, अधिकांश भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघ तंग बजट पर काम करते हैं, जिससे भारोत्तोलन, तीरंदाजी और मुक्केबाजी जैसे प्रमुख ओलंपिक खेल गंभीर रूप से धन की कमी से जूझ रहे हैं।
- **निजी गैर-लाभकारी पहलों का उदय:** दिग्गजों गीत सेठी और प्रकाश पादुकोण द्वारा स्थापित 'ओलंपिक गोल्ड क्रेस्ट' (OGQ) जैसी निजी धर्मार्थ संस्थाओं ने 2024-25 में दान में ₹92.1 करोड़ जुटाए, जो छह प्रमुख राष्ट्रीय खेल महासंघों की संयुक्त आय से अधिक है।
- **केंद्र सरकार की योजनाओं को पछाड़ना:** विशिष्ट एथलीटों पर OGQ का सीधा खर्च 2024-25 में ₹77 करोड़ तक पहुंच गया, जो सरकार द्वारा संचालित 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' (TOPS) के ₹34.8 करोड़ के आवंटन से अधिक है।
- **लक्षित सहायता बनाम व्यापक पहुंच:** जहां TOPS एथलीटों के एक बड़े समूह (प्रति चक्र 300-400 से अधिक) का समर्थन करता है, वहीं OGQ उच्च क्षमता वाले ओलंपिक और पैरालिंपिक खेलों पर गहनता से ध्यान केंद्रित करता है, जो यात्रा, पेशेवर कोचिंग, चिकित्सा देखभाल और उपकरणों का वित्तपोषण करता है।
- **कॉर्पोरेट CSR और परोपकार:** धारा 8 गैर-लाभकारी ढांचे का उपयोग करने वाले प्रमुख कॉर्पोरेट समूहों और फाउंडेशनों द्वारा संचालित, ओलंपिक संभावनाओं के लिए कॉर्पोरेट सहायता में काफी विस्तार हुआ है।
- **पदक तालिका पर सिद्ध प्रभाव:** निजी समर्थित हस्तक्षेपों ने प्रत्यक्ष परिणाम दिए हैं, जिससे पिछले चार ओलंपिक खेलों में भारत के 21 पदक विजेताओं में से 13 और पिछले दो चक्रों में 48 पैरालिंपिक पदक विजेताओं में से 33 को सहायता मिली है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट (OGQ):** 'फाउंडेशन फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स' के रूप में पंजीकृत, एक धारा 8 गैर-लाभकारी संगठन जो संभावित ओलंपिक और पैरालिंपिक पदक विजेताओं के लिए प्रशिक्षण, उपकरण और खेल विज्ञान में अंतराल को पाटने के लिए समर्पित है।
- **टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS):** शीर्ष भारतीय एथलीटों की पहचान करने और उन्हें वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम।
- **धारा 8 कंपनी (Section 8 Company):** कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक कंपनी, जो चैरिटी, खेल, शिक्षा या समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की जाती है, जहां लाभांश के रूप में भुगतान किए जाने के बजाय मुनाफे को पूरी तरह से इसके मुख्य उद्देश्यों में पुनर्निवेशित किया जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सातवीं अनुसूची (राज्य सूची, प्रविष्टि 33):** राज्य विधानसभाओं को खेल, मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर प्राथमिक अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है, हालांकि राष्ट्रीय महासंघों को केंद्रीय देखरेख और धन प्राप्त होता है।
- **भारत का राष्ट्रीय खेल विकास कोड, 2011:** मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) के लिए शासन, वित्तीय पारदर्शिता, कार्यकाल सीमा और चुनाव प्रक्रियाओं को विनियमित करता है।
- **कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 135):** कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय को अनिवार्य बनाता है, जो ग्रामीण, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, पैरालिंपिक और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण को पात्र CSR गतिविधियों के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता देता है।

निष्कर्ष निजी खेल परोपकार और लक्षित कॉर्पोरेट वित्त पोषण TOPS जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों के आवश्यक पूरक हैं। जैसा कि भारत 2036 ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी की बोली लगा रहा है, गैर-क्रिकेट खेलों में खेल विज्ञान, बुनियादी ढांचे और विशिष्ट एथलीट विकास को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण साबित होगा।

UPSC प्रासंगिकता यह सामान्य अध्ययन पत्र-II (शासन और सामाजिक न्याय) के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, गैर सरकारी संगठनों, परोपकारी संस्थाओं और निजी हितधारकों की भूमिका, तथा सामान्य अध्ययन पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) के अंतर्गत संसाधनों का जुटाव और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के लिए प्रासंगिक है।

11. रोजगार गारंटी अधर में लटकी: VB-G RAM G संक्रमण

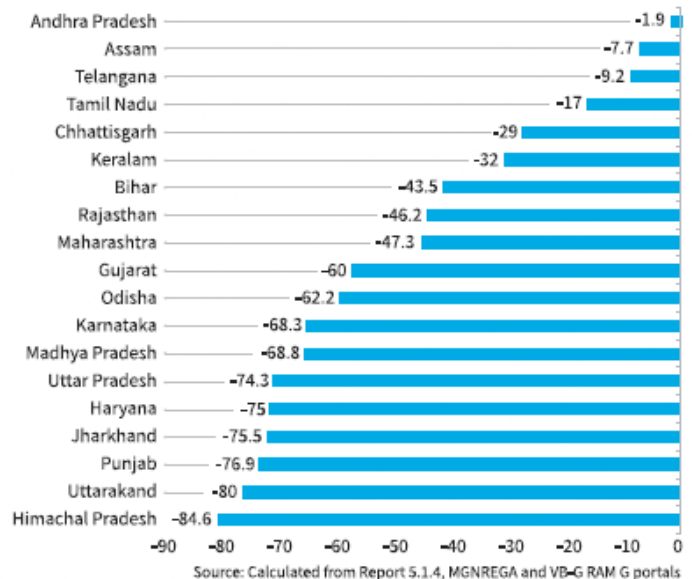
मुख्य बिंदु और सारांश

- **रोजगार सृजन में भारी गिरावट:** जुलाई 2025 की तुलना में जुलाई 2026 में रोजगार सृजन में 40% से अधिक की गिरावट आई, जिसमें मनरेगा (MGNREGA) के तहत उच्च ऐतिहासिक मानकों के मुकाबले लगभग 9 करोड़ व्यक्ति-दिवस (person-days) ही उत्पन्न हुए।

- **संक्रमणकालीन भ्रम:** मनरेगा के स्थान पर 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' या VB-G RAM G अधिनियम को दिसंबर 2025 में संसद में जल्दबाजी में पारित किया गया था। संक्रमण में देरी और नियम बनाने में विलंब के कारण अधिकारी नए काम शुरू करने में असमर्थ रहे।
- **चार महीने की संचयी गिरावट:** अप्रैल और जुलाई 2026 के बीच, मनरेगा और VB-G RAM G ने केवल 70 करोड़ व्यक्ति-दिवस उत्पन्न किए, जो पिछले दो वित्तीय वर्षों में इसी अवधि के दौरान उत्पन्न 123.5 करोड़ व्यक्ति-दिवस के औसत से 43% कम है।
- **व्यापक क्षेत्रीय प्रभाव:** जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे प्रमुख ग्रामीण राज्यों में रोजगार सृजन लगभग ठप हो गया (60% से 85% की गिरावट), असम और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अपेक्षाकृत कम प्रभाव देखा गया।
- **बजटीय विसंगति:** ₹1.5 लाख करोड़ के बढ़ाए गए संयुक्त परिव्यय (राज्य के अंशदान सहित) और 125 दिनों के कार्य जनादेश के बावजूद, चेहरे की पहचान से उपस्थिति (फेस रिकग्निशन अटेंडेंस) और राज्य स्तर पर लागत साझाकरण जैसी संरचनात्मक बाधाओं ने निष्पादन में गंभीर अड़चनें पैदा की हैं।
- **धारा 6 का भ्रामक औचित्य:** ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस गिरावट का कारण चुनिंदा राज्यों में अधिनियम की धारा 6 के तहत काम के अस्थायी निलंबन को बताया, लेकिन प्रभावित क्षेत्र कुल राष्ट्रीय रोजगार का बहुत छोटा हिस्सा प्रस्तुत करते हैं।

Employment decline in April-July 2026

Percentage change in person-days, April-July 2026 versus average of previous two years (same months)



Source: Calculated from Report 5.1.4, MGNREGA and VB-G RAM G portals

आवश्यक परिभाषाएं

- **VB-G RAM G अधिनियम:** मनरेगा का वैधानिक उत्तराधिकारी, जो प्रति ग्रामीण परिवार प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के मजदूरी रोजगार का वैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।
- **व्यक्ति-दिवस (Person-Days):** एक मानक मापन इकाई जो एक पूर्ण कार्य दिवस के दौरान एक व्यक्ति द्वारा किए गए संचयी कार्य का प्रतिनिधित्व करती है।
- **मांग-संचालित योजना (Demand-Driven Scheme):** एक कल्याणकारी मॉडल जहां रोजगार का आवंटन निश्चित, ऊपर-से-नीचे सरकारी आपूर्ति कोटा के बजाय नौकरी चाहने वालों की सक्रिय मांग द्वारा निर्धारित किया जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 41 (नीति निदेशक तत्व):** यह अनिवार्य करता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।
- **अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार):** उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक सुरक्षा विधानों पर दायित्व डालते हुए आजीविका के अधिकार को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 का बार-बार विस्तार किया है।

- **लागत-साझाकरण ढांचा:** VB-G RAM G के तहत, केंद्र और राज्यों के बीच निधि-साझाकरण अनुपात सामान्य राज्यों के लिए 60:40 हो गया है (हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10), जिसने मनरेगा के तहत अकुशल मजदूरी के लिए पहले के 100% केंद्रीय समर्थन को बदल दिया है।

निष्कर्ष VB-G RAM G की डगमगाती शुरुआत यह दर्शाती है कि कैसे प्रशासनिक परिवर्तन अनजाने में वैधानिक सामाजिक सुरक्षा तंत्र से समझौता कर सकते हैं। नियमों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, राज्य स्तरीय राजकोषीय बोझ साझाकरण को हल करना, और तकनीक-आधारित कार्यस्थल सत्यापनों को सुव्यवस्थित करना ग्रामीण आजीविका की वैधानिक गारंटी को बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण है।

UPSC प्रासंगिकता यह **सामान्य अध्ययन पत्र-II (शासन)** के अंतर्गत संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, तथा **सामान्य अध्ययन पत्र-III (अर्थव्यवस्था)** के अंतर्गत रोजगार सृजन, समावेशी विकास और राजकोषीय संघवाद के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

12. भारत में घटता कॉर्पोरेट निवेश: कारक और संरचनात्मक अड़चनें

मुख्य बिंदु और सारांश

- **2016 के बाद से लगातार निवेश में गिरावट:** भारत में सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में कॉर्पोरेट निवेश में 2016 के नोटबंदी (डिमोनेटाइजेशन) के झटके के बाद एक तेज, अकेली गिरावट देखी गई, जो 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान देखे गए निचले स्तर से भी नीचे गिर गई।
- **पूंजी निर्माण के तीन निर्धारक:** निवेश के निर्णय मुख्य रूप से बाजार बिक्री से अपेक्षित लाभप्रदता, व्यावसायिक आत्मविश्वास के स्तर ("एनिमल स्पिरिट्स"), और ऋण की लागत या उपलब्धता पर निर्भर करते हैं।
- **आकार के आधार पर असममित बाधाएं:** छोटी फर्मों (MSMEs) कम प्रारंभिक पूंजी के कारण उच्च ऋण लागत और बढ़ते ब्याज के बोझ से सीमित हैं, जबकि बड़े कॉर्पोरेट वित्तीय बाधाओं के बजाय बाजार में मांग की सीमाओं का सामना करते हैं।
- **आपूर्ति-पक्ष के प्रोत्साहनों की अप्रभावशीलता:** व्यापक कर कटौती, जैसे कि 2019 में कॉर्पोरेट कर को 30% से घटाकर 22% करना, और आरबीआई की कम ब्याज दर व्यवस्था, अंतिम उपभोक्ता मांग में विस्तार के बिना कॉर्पोरेट निवेश को पुनर्जीवित करने में विफल रही।
- **सार्वजनिक व्यय के माध्यम से मांग का सृजन:** निजी कॉर्पोरेट पूंजी व्यय को पुनर्जीवित करने के लिए बाजार के आकार का विस्तार करने और लाभप्रदता की उम्मीदों को बढ़ाने हेतु एक स्वायत्त प्रोत्साहन के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्यक्ष सरकारी खर्च की आवश्यकता होती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **एनिमल स्पिरिट्स (Animal Spirits):** अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा गढ़ा गया एक शब्द जो अनिश्चित समय के दौरान आर्थिक और व्यावसायिक निर्णयों को संचालित करने वाली मानवीय भावनाओं, आत्मविश्वास और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का वर्णन करता है।

- **बढ़ते जोखिम का सिद्धांत (Principle of Increasing Risk):** माइकल कालेकी द्वारा तैयार की गई एक आर्थिक अवधारणा जिसमें कहा गया है कि निवेश से जुड़ा जोखिम तब बढ़ता है जब कोई फर्म अपनी पूंजी के अनुपात में अधिक उधार लेती है, जिससे छोटे उधारकर्ताओं के लिए ऋण लागत बढ़ जाती है।
- **कॉर्पोरेट निवेश-से-जीडीपी अनुपात:** एक समष्टि आर्थिक सूचक जो देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष निजी गैर-वित्तीय निगमों द्वारा किए गए कुल पूंजीगत व्यय को मापता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003:** केंद्र सरकार के लिए वैधानिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य निर्धारित करता है, जो राजकोषीय समेकन और वृद्धि को बढ़ावा देने वाले सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के बीच एक नीतिगत तनाव पैदा करता है।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006:** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से MSMEs को बढ़ावा देने, विकसित करने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया कानूनी ढांचा।
- **संविधान का अनुच्छेद 39(b) और (c):** राज्य की नीति के निदेशक तत्व यह अनिवार्य करते हैं कि भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को आम भलाई के लिए सर्वोत्तम रूप से वितरित किया जाए और आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोका जाए।

निष्कर्ष भारत में कॉर्पोरेट निवेश की लंबे समय से चली आ रही ठहराव की स्थिति निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने में मौद्रिक ढील और आपूर्ति-पक्षीय कर रियायतों की सीमाओं को रेखांकित करती है। टिकाऊ निजी निवेश की बहाली के लिए निजी पूंजी को आकर्षित करने, रोजगार उत्पन्न करने और कुल मांग को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता है।

UPSC प्रासंगिकता यह सामान्य अध्ययन पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) के अंतर्गत संसाधनों का जुटान, वृद्धि, विकास और रोजगार, निवेश मॉडल, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति हस्तक्षेप, तथा MSMEs से संबंधित मुद्दों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

The investment slump

Corporate investment in India as a share of GDP has been declining since demonetisation. What explains the prolonged slowdown?

GRAPH 1: What determines investment

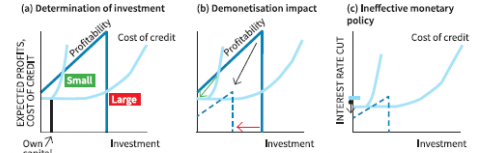


CHART 1: Corporate investment in India As a share of GDP (in %)

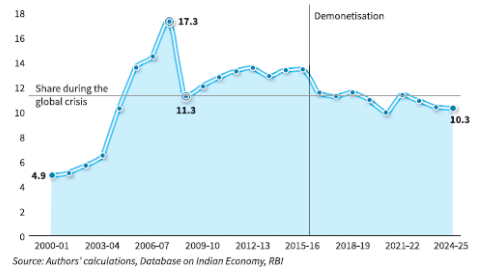
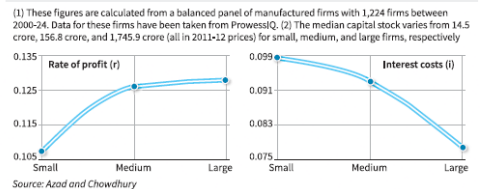


CHART 2: Characteristics of Indian manufacturing firms Median values across three sizes of firms



AUGUST 19, 2026

